

- 4-वेटराइजर:-प्रस्तावित प्रत्येक ब्लाकों के मानचित्र में एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम प्रस्तावित है।
- 5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।
- 6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक ब्लाक में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
- 7-स्व: चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है।
- 8-स्व: चालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
- 9-टेरिस टैंक:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक-25,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 10-टेरिस पम्प:-प्रस्तावित प्रत्येक ब्लाकों की टेरिस टैंक के पास पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 के अनुसार 900 एल0पी0एम0 वांछित है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरूप 100-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कि0ग्रा0 का प्रस्तावित है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम
ए0-फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर प्रस्तावित है।
बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है-भूतल पर।
सी0-सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 13-प्रेशराईजेशन प्रणाली:-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार भूतल पर प्राविधानित है।
- 14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रस्तावित है।
- 15-पी0ए0सिस्टम:-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।
- 16-बेसमेन्ट का स्लेप जो सेटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।
- 17-बेसमेन्ट में 12 एअर चेन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्झास्ट एक्प्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।
- 18-भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।
- 19-प्रत्येक ब्लाक में इलेक्ट्रिक पैनम में ओटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड सप्रेसन सिस्टम मय लीनर हीट सेंसिंग ट्यूब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

उत: उपरोक्तानुसार मैसर्स श्री चन्द्रावती देवी, पत्नी श्री पारसनाथ, व अन्य ग्राम-सिक्टौर & हवेली, तहसील सदर जनपद-गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोवोजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन विभाग
गोरखपुर
गोरखपुर

प्रतिलिपि-

- 1- उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 2- अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।

3 - ✓ आवेदक, मा.स. श्री चन्द्रावती देवी पत्नी पारसनाथ व अ.प.

पता- सिक्टौर, हवेली, तहसील सदर गोरखपुर को सूचनार्थ

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर।

पत्रांक- 2015/10066/GKR/GORAKHPUR/102/CFO
सेवा में,

दिनांक-मई 30, 2015

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषय:- आराजी नं0-379, मानचित्र संख्या-296/2015, ग्राम-सिक्टौर & हवेली, तहसील सदर जनपद-गोरखपुर में प्रस्तावित मैसर्स-चन्द्रावती देवी, पत्नी श्री पारसनाथ, व अन्य ग्राम-सिक्टौर & हवेली, तहसील सदर जनपद-गोरखपुर के प्रस्तावित सामूहिक आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के पत्र संख्या-111/मानअनु0/गो0वि0प्रा0/2015-16 दिनांक-21.05.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित सामूहिक आवासीय भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर व मेरे द्वारा किया गया है। अग्निशमन अधिकारी की आख्या दिनांक-23/05/2015 सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

1-कुल भूखण्ड एरिया-4721.11 वर्ग मीटर

1-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-1249.88 वर्ग मीटर

2-प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-7499.28 वर्ग मीटर(प्रथम तल से छठें तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया-1249.88 वर्गमीटर)(मुमटी एरिया-107.32 वर्गमीटर)

3-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-1655.67 वर्ग मीटर

4-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

5-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

6-भवन की उचाई-19.74 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी -प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी-A4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में-24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वारा की चौड़ाई:-7.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3-सैटबैक:-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:- (नोट-प्रस्तावित भवन 03 ब्लाकों में प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लाक एक-दूसरे से 07 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है, जो मानक के अनुसार है)

ए0-अग्रभाग-7.00 मीटर

बी0-पृष्ठभाग-7.00 मीटर

सी0-पार्श्वभाग प्रथम-7.00 मीटर

डी0-पार्श्वभाग द्वितीय-7.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रस्तावित प्रत्येक ब्लाक में-02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.20 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी पतोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार भूमिगत टैंक वांछित नहीं है।

2-पम्प:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार पम्प वांछित नहीं है।

3-होजरील:-प्रस्तावित प्रत्येक ब्लाकों में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

कमश:-2 पर

(Handwritten signature)